

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (लेखा)
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....जून, 2012

विषय :- मांग सं०-04 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल उपबंधित राशि 32,66,000/- (बत्तीस लाख छियासठ हजार) रुपये के विरुद्ध 30,79,400/- (तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ) रुपये का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब०-17/बी०एस०जी०-51/2012-422 वि० दिनांक-31.03.2012 के आलोक में मांग सं०-04 के मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 30,79,400/- (तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ) रुपये का आवंटन निम्न रूपेण किया जाता है, जिसका विपत्र कोड सं०- N 2070001150001 है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	वर्ष 2012-13 का बजट उपबंध	आवंटित राशि	शेष राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	01 01 वेतन	13,97,000	13,97,000	शून्य	13,97,000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	9,36,000	9,36,000	शून्य	9,36,000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	48,000	38,400	9,600	38,400
4	01 05 परिवहन भत्ता	60,000	48,000	12,000	48,000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	27,000	21,600	5,400	21,600
6	01 07 अन्य भत्ता	8,000	6,400	1,600	6,400
7	11 01 यात्रा व्यय	5,000	4,000	1,000	4,000
8	13 01 कार्यालय व्यय	3,80,000	3,04,000	76,000	3,04,000
9	13 03 दूरभाष व्यय	60,000	48,000	12,000	48,000
10	13 04 विद्युत प्रभार	2,15,000	1,72,000	43,000	1,72,000

11	13 06 वर्दी	30,000	24,000	6,000	24,000
12	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000	80,000	20,000	80,000
योग :-		32,66,000 (बत्तीस लाख छियासउ हजार) रुपये	30,79,400 (तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ) रुपये	1,86,600 (एक लाख छियासी हजार छः सौ) रुपये	30,79,400 (तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ) रुपये

2. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय होगा। इसका विपत्र कोड संख्या-N 2070001150001 है।

3. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

4. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- रा०अ०-018/2011.....पटना-15, दिनांक-.....जून, 2012

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- रा०अ०-018/2011.....पटना-15, दिनांक-.....जून, 2012


प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- रा०अ०-018/2011.....¹⁵पटना-15, दिनांक-.....^{DS}जून, 2012

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।